10/6/24 पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही आगे का निवेदन कर नोट शीट पेश किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार प्रार्थना पत्र नोट शीट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के कर दो।

वाद विड्रा किया

(कन्हैयालाल)

N.S. Meena

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़